दिनांक 25.08.2023
प्रेस विज्ञप्ति 27/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भौराकलां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी–प्रथम जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना भौराकलां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/302/201/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मोहित 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पुतानी 2–छोटे 3–संतोष को आजीवन कारावास व 26–26 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी–द्वितीय जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू उर्फ श्यामवीर को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ध्यान सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 52 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी जनपद उन्नाव द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कामिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष 05 माह के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कासगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कासगंज द्वारा थाना गंजडुण्डवारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मु0कमर को 08 वर्ष 05 माह के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–प्रथम जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/149/147 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बिल्लू 2–मनीष 3–नीरज 4–छोटू 5–शेरा को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या–12 जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फतेहगढ़</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक को थाना कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त समर सिंह उर्फ समरे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– समर सिंह उर्फ समरे निवासी सरह थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलॉ

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.08.2023 को थाना कोसीकलॉ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त लोकनाथ उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोसीकलॉ पर पंजीकृत अभियोग धारा 302 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलॉ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लोकनाथ उर्फ जयप्रकाश निवासी दाउदपुर थाना दाऊजपुर जनपद सोरण , बिहार।

जनपद इटावा/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 24/25.08.2023 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो

बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जफर उर्फ जफरूद्दीन उर्फ भल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जफर उर्फ जफरूद्दीन उर्फ भल्लू निवासी कस्बा व थाना कुदरकोट जनपद औरैया।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना तिकुनिया

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक: 25.08.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गुलहरिया पत्थर शाह के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तिकुनिया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मलकीत सिंह निवासी ग्राम दीपनगर थाना तिकुनिया जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>जनपद रायबरेली/थाना शिवगढ़</u>

- **05—05 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.08.2023 को थाना शिवगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—धर्मेन्द्र प्रताप 2—रामविलास 3—रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवगढ़ पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05—05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—धर्मेन्द्र प्रताप निवासी महरानीखेड़ा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली।

2—रामविलास निवासी हंसवा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली।

3—रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश निवासी पडीराकला थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली।

जनपद रायबरेली/थाना हरचन्दपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **10 हजार 700 रूपये नगद**
- **04 मोटर साइकिल**
- **01 बोलेरो वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **शटर काटने में प्रयोग किया जाने वाला गैस कटर आदि बरामद**

दिनॉकः 24.08.2023 की रात्रि थाना हरचन्दपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदा नहर पटरी के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–शाहिद उर्फ पिन्कु उर्फ टिंकू 2–तानसेन घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–धीरज 4–विशाल 5–सूर्यसेन उर्फ मोनू 6–आदित्य कुमार उर्फ छोटू सहित गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशादेही पर अभियुक्त 7–रामबरन को गुल्लुपुर मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 10 हजार 700 रूपये नगद, शटर काटने में प्रयोग किया जाने वाला गैस कटर, 04 मोटर साइकिल, 01 बोलेरो वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद उर्फ पिन्कु उर्फ टिंकू के विरूद्ध जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त तानसेन के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त धीरज के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग,

अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त सूर्यसेन उर्फ मोनू के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त आदित्य के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरचन्दपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहिद उर्फ पिन्कु उर्फ टिंकू निवासी कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

2—तानसेन निवासी गुन्दापुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

3—धीरज निवासी पूरे जनई थाना लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़।

4—विशाल निवासी चिरौजी का पुरवा थाना लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़।

5—सूर्यसेन उर्फ मोनू निवासी गुन्दापुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

6—आदित्य कुमार उर्फ छोटू निवासी रायपुर तियाई, रानीगंज कैथौला जनपद प्रतापगढ़।

7—रामबरन निवासी पूरे मौहहारी गुल्लुपुर थाना हरचन्द्रपुर जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—10 हजार 700 रूपये नगद।

2—शटर काटने में प्रयोग किया जाने वाला गैस कटर।

3—04 मोटर साइकिल।

4—01 बोलेरो वाहन।

5—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **52 एटीएम/डेविड कार्ड व अन्य कार्ड**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.08.2023 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोवामण्डी चौराहा से धोखाधड़ी के 02 अभियुक्तों 1–प्रभात 2–ज्ञानेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 52 एटीएम/डेविड कार्ड व अन्य कार्ड, 05 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा भिन्न–भिन्न एटीएम पर जाकर मदद करने के बहाने से धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर रूपये निकाल लेते थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रभात निवासी संजय नगर कालोनी पहडिया थाना कैण्ट, वाराणसी।

2–ज्ञानेन्द्र निवासी सीरगोबर्धन काशीपुरम कालोनी थाना लंका, वाराणसी।

बरामदगी

1–52 एटीएम/डेविड कार्ड व अन्य कार्ड।

2–05 हजार रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद अमेठी/थाना बाजार शुक्ल

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 कुन्तल 03 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 24.08.2023 को थाना बाजार शुक्ल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सत्थिन गोमती नदी पुल के पास 02 अभियुक्तों

1–मो0 अफजल 2–मो0 सुहैब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 कुन्तल 03 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 अफजल निवासी रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

2–मो0 सुहैब निवासी सहोदरपुर पश्चिमी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 01 कुन्तल 03 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा ।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

एसटीएफः जनपद बरेली से रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्त अनीस उर्फ गुड्डू गिरफ्तार

दिनांक 24-08-2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 927/2021 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अपराधी अनीस उर्फ गुड्डू पुत्र रफीक को जनपद बरेली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

अनीस उर्फ गुड्डू पुत्र रफीक निवासी–वार्ड नं0–04 कस्बा रिछा थाना देवरनियां जनपद बरेली हाल पता निवासी–मोहल्ला फरीदापुर चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।

बरामदगीः

1–01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज

2–02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

3–01 अदद सैमसंग मोबाइल कीपैड फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय–

डेलापीर तिराहे की तरफ से 100 फुटा रोड के प्रारम्भ से 100 कदम आगे थाना इज्जतनगर जनपद बरेली दिनांक–24-08-2023 समय–21:50 बजे

उ0प्र0 एस0टी0एफ0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएं करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उप निरीक्षक राशिद अली के नेतृत्व में मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 नितिन, मु0आ0 संदीप, आ0 संजय यादव, आ0 कमाण्डो खान मोहम्मद की एक टीम जनपद बरेली में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 927/2021 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम में रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अनीस उर्फ गुड्डू डेलापीर तिराहा 100 फुटा रोड के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से इनामी अपराधी अनीस उर्फ गुड्डू उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह वर्ष–2021 से मु0अ0सं0–927/2021 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना इज्जतनगर जनपद बरेली से फरार चल रहा था। वर्तमान समय में वह अपनी पहचान छिपाकर रामपुर व हापुड़ में मीट फैक्ट्रियों में काम कर रहा था । आज अपने घर पर जा रहा था।

उपरोक्त सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर जनपद बरेली पर मु0अ0सं0–538/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————